न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 25/2016

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजूराम पुत्र श्री खींयाराम, जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम सालोड़ी, तहसील व जिला जोधपुर		1. प्रहलादराम पुत्र राधाकिशन उर्फ रामकिशन विश्नोई निवासी ग्राम बेरू, तहसील व जिला जोधपुर। 2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 जो तहसीलदार जोधपुर के आदेश कमांक 1265 दिनांक 25.06.1968 को ग्राम सालोड़ी के खसरा नम्बर 299 में से 15 बीघा भूमि आवंटन किये गये आदेश के विरूद्ध।

— — —

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जे0सी0विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अभिभाषक श्री एस0एन0 राजपुरोहित।

:–: **<u>आ दे श</u>** :–: **दिनांक : 11.08.2016**

यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 जो तहसीलदार जोधपुर के आदेश कमांक 1265 दिनांक 25.06.1968 को ग्राम सालोड़ी के खसरा नम्बर 299 में से 15.00 बीघा भूमि आवंटन किये गये आदेश के विरूद्ध पेश किया गया है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वर्ष 1968 में तहसील जोधपुर में ग्राम पंचायत बेरू के ग्राम सालोड़ी के खसरा नम्बर 299 में से 15.00 बीघा भूमि तत्कालीन तहसीलदार एवं हल्का पटवारी तथा ग्राम पंचायत बेरू के सरपंच राधाकिशन विश्नोई अपने नाबालिक पुत्र के नाम बिना आवंटन नियम के तहसीलदार, जोधपुर के आदेश कमांक 1265 दिनांक 25.06.1968 को खसरा नम्बर 299 रकबा 15.00 बीघा भूमि आबंटन होने से फार्म भरा गया, से मंजूर कर पटवारी बेरू दिनांक 20.08.1971 नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत बेरू ने दिनांक 30.03.72 को स्वीकृत कर जबकि आवन्टी सरपंच का पुत्र था, जो नाबालिक था। नाबालिक को भूमि आवंटन नही की जा सकती। इससे व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 112 दिनांक 28.01.2016 के द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमित सुनवाई की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक की बहस दिनांक 02.08.2016 को सुनी जाकर निर्णय हेतु दिनांक 11.08.2016 नियत की गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जगदीश विश्नोई अपनी बहस शुरू करते है, प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वर्ष 1968 में तहसील जोधपुर में ग्राम पंचायत बेरू के ग्राम सालोड़ी के खसरा 299 में से 15.00 बीघा भूमि तत्कालीन तहसीलदार व हल्का पटवारी तथा ग्राम पंचायत बेरू के सरपंच राधाकिशन विश्नोई द्वारा अपने नाबालिक पुत्र के नाम बिना किसी आवंटन नियमन के तहसीलदार, जोधपुर के आदेश क्रमांक 1265 दिनांक 25.06.1968 खसरा नं0 299 रकबा 15.00 बीघा भूमि आवंटन होने फार्म भरा गया, से मंजूर किया इस प्रकार अप्रार्थी को किसी प्रकार आवंटन नियमन नही हुआ। अप्रार्थी प्रहलादराम उस समय नाबालिक था। नाबालिक को आवंटन/नियम नही किया जा सकता।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को हाल ही में होने पर तहसीलदार जोधपुर से आवंटन/नियमन किये गये आदेश की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल मांगी गई, तो तहसीलदार जोधपुर ने प्रार्थी को अवगत कराया कि वांछित रेकर्ड व आदेश एवं दस्तावेजो की तलाश करने पर भी उपलब्ध नही कराई इससे सिद्ध होता है कि उक्त आवंटन फर्जी बनावटी व राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर तैयार किया गया। उक्त आवंटन निरसत करने का निवेदन किया।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी सं0 एक के पिता है तथा उन्होने अपने पद एवं प्रभाव का दुरूपयोग कर अपने पुत्र जो नाबालिक था(अप्रार्थी सं0–1) को खसरा नं0 299 में से 15.00 बीघा भूमि फर्जी आवंटन बताकर नामान्तरकरण भी अप्रार्थी सं0 एक के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो भू.आवंटन नियम–1970 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जब प्रार्थी वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है

आवंटन के समय प्रार्थी व उसके परिवार वाले इस भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे है और आज भी रहवासीय ढ़ाणियॉ बनी हुई है। और भौतिक रूप कब्जा भी है। आंटन विधि विरूद्ध किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी सं.–एक राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर कार्यरत है, नियमन का अधिकारी नही होते हुए भी आवंटन/नियमन कर दिया जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक का यह भी कथ्न किया कि अप्रार्थी सं0 एक भूमिहीन नही था। उसके पिता के नाम से पहले काफी भूमि है। अप्रार्थी सं0–एक डी0आ0डी0पी0 का चयनित व्यक्ति नही था, भी भूमि आवंटन/नियमन कर दिया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0–एक को ग्राम सालोड़ी के खसरा नं0 299 रकबा 15.00 बीघा भूमि आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी सं0 एक के विद्वान अभिभाषक श्री एस0एन0 राजपुरोहित ने अपनी बहस शुरू करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं0 एक को वर्ष 1968 हुआ। और 48 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी कार्यवाही के लिये मियांद निर्धारित नही की गयी है। वहां पर अधिकारों का प्रयोग वाजिब समय में ही किया जा सकता है। आर.बी.जे. 2002(9) पेज–193 माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां मियांद तय नही है वहां अधिकतम मियांद तीन वर्ष की होती है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) तीन वर्ष के बाद मियांद बाहर हो गया। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु को तय करना आवश्यक है क्योंकि आर.आर.डी. 2009 पेज 465 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ तीन साल से ज्यादा की डिले है, तो पहले लिमिटेशन का प्रश्न तय किया जावेगा, बाद में मेरिट पर सुना जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर मियांद है या नही, यह प्रश्न प्राथमिक रूप से तय करना आवश्यक है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए0आई0आर0 1994 पृष्ठ 1128 में दो दशक यानि 20 वर्ष से पुराना आवंटन को खारिज नही करना चाहिये।

अप्रार्थी सं0 एक के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान आर0आर0डी–2015 पृष्ठ सं. 556, आर0एल0डब्ल्यू0 2005(1) राज. पृष्ठ सं0 475, आर0आर0डी0 पेज 500, आर0आर0डी0 पेज 164, आर0आर0डी0 2007 पृष्ठ 733, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2003(7) एस.सी.सी. पृष्ठ 667, इन निर्णय अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अभिभाषक व अप्रार्थी सं. एक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस व न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक मनन व अध्ययन किया। पत्रावली का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. एक को ग्राम सालोड़ी के ख0नं0 299 में 15.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उसे निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कारण यह बताया कि अप्रार्थी सं. एक को जब भूमि आवंटन की गयी उस वक्त वह नाबालिक था। इसकी ताहिद सरकारी स्कूल के दस्तावेज से होती है। जो अप्रार्थी सं0 एक सरकारी नौकरी के नियुक्ति कार्यालय आदेश में जन्मतिथी 20.07.1958 लिखी है। इस आशय की पुष्टि प्रधानाचार्य रा0 उ0 मा0 वि0 केरू (जोधपुर) पत्रांक 43 दिनांक 05.07.2016 के पत्र से भी होती है। अप्रार्थी सं. एक का भूमि आवंटन वर्ष 1968 में होना नामान्तरकरण सं0 19 के कॉलम सं0 14 से ताहिद होती है। इस प्रकार वर्ष 1968 में अप्रार्थी सं. एक नाबालिक होना बताया गया। नाबालिक को भूमि आबंटन नही की जा सकती।

ग्राम सालोड़ी के नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि सालोड़ी के नामान्तरकरण सं. 19 के कॉलम सं0 14 में यह अंकन किया गया। ''तहसीलदार आदेश सं0 1265 दिनांक 25.06.68 खसरा नम्बर 299 रकबा 15.00 बीघा भूमि आवंटन होने से फार्म भरा गया हो मन फरमाया जावे।'' इस प्रकार तहसीलदार के आदेश की पालना ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार नही है। तहसीलदार का आदेश वर्ष 1968 का था, और सरपंच ग्राम पंचायत बेरू ने दिनांक 30.03.1972 को स्वीकृत किया। जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार नही होते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो नियम विरूद्ध है एवं स्वीकृत नामान्तरकरण में भूमि की किस्म का भी अंकन नही किया गया है।

अप्रार्थी प्रहलादराम पुत्र श्री राधाकिशन उर्फ रामाकिशन भूमिहीन की श्रेणी में नही आता है कारण कि अप्रार्थी सं0 एक के पिता के नाम से पहले से काफी भूमि है। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की जा सकती है।

इस प्रकरण में मियांद का बिन्दु इसलिये लागू नही होता है कि नाबालिक को भूमि, आवंटन नही की जा सकती, भूमिहीन व्यक्तियों की भूमि आवंटन की जा सकती है। जो भूमि आवंटन की गयी है, वह विधि विरूद्ध है।

इस प्रकरण में यह भी तथ्य प्रगट हुआ कि अप्रार्थी सं. एक व उसके स्वर्गीय पिता श्री राधाकिशन उर्फ रामकिशन कौम विश्नोई एवं अप्रार्थी सं0 एक के भाई नाम ग्राम सालोड़ी व केरू तहसील जोधपुर में निम्न भूमि उनके नाम से अंकित है।

(1)	ग्राम सालोड़ी	46/1 रकबा	08.00 बीघा
		49/1 रकबा	06.06 बीघा
		299/2 रकबा	15.00 बीघा
(2)	ग्राम बेरू	1056/2 रकबा	14.15 बीघा
		1299 रकबा	10.10 बीघा
		1440/1 रकबा	18.08 बीघा
		1457 रकबा	00.09 बीघा
		1049 रकबा	14.00 बीघा
		1049/1 रकबा	10.00 बीघा
		1056 रकबा	14.15 बीघा
		1044 रकबा	00.13 बीघा
		1064 रकबा	21.02 बीघा
		1068 रकबा	54.15 बीघा
		1275 रकबा	00.07 बीघा
		1276 रकबा	22.09 बीघा
		1298 रकबा	00.08 बीघा
		1056/1 रकबा	14.15 बीघा
		1293 रकबा	00.08 बीघा
		1299 रकबा	10.10 बीघा

प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम सालोड़ी व बेरू, तहसील जोधपुर में अप्रार्थी सं. एक व उसके पिता स्व0श्री राधाकिशन उर्फ रामकिशन, कौम विश्नोई के स्वयं के व सहखातेदार के रूप कृषि होने अप्रार्थी सं0 एक भूमिहीन श्रेणी में नही आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं. एक को ग्राम सालोड़ी खसरा नम्बर 299 में 15.00 बीघा भूमि आवंटन को एतद् निरस्त किया जाता है।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 11.08.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर